न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/06/2021

यशोवर्धनसिंह उर्फ टीनू पुत्र स्व0 संसारसिंह जाति जाट निवासी जघीना तहसील व जिला भरतपुर हाल निवासी खिरनी घाट भरतपुर ।

...अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार भरतपुर ।

2–कुलदीपसिंह पुत्र हरभान सिंह जाति जाट निवासी जघीना तहसील व जिला भरतपुर हाल निवासी खिरनी घाट,भरतपुर ।

..... रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार,भरतपुर दिनांक 13.02.2020
मिसिल संख्या 03/2017

उपस्थित :

1. एड0 विजयसिंह कुन्तल, अभिभाषक अपीलाण्ट ।
2. राजकीय अभिभाषक।

निर्णय **दिनांक 09.03.2021**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम (मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम) विरुद्ध आदेश 13.02.2020 तहसीलदार भरतपुर इस आशय की प्रस्तुत की है। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाधीन आदेश वाके ग्राम जघीना चक नं0 3 स्थित खसरा नम्बर 5971/0.30, 6685/0.33 की हद तक निरस्तनीय है। मृतक वसीयतकर्ता हरिरामसिंह लावल्द बिला संतान फौत हुए हैं, जिनका कोई भी प्रथम श्रेणी का वारिस मौजूद नहीं है। स्व0 हरिराम अपनी सम्पूर्ण आराजी के अकेले ही मालिक थे।वे अकेले ही अपने नाम की अपनी समस्त सम्पत्ति को किसी भी व्यक्ति को देने हेतु

जिला कलक्टर
भरतपुर । राज0

स्वतंत्र थे। ऐसी स्थिति में किसी भी सम्पत्ति को पैतृक मानते हुए वसीयत को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। की गई वसीयत पूर्ण रूप से प्रभावी होती है। परन्तु तहत न्यायालय ने इन सभी तथ्यों को नजरंदाज करते हुए वाके ग्राम जघीना चक नं0 3 तहसील भरतपुर स्थित खसरा नम्बर 5971/0.30, 6685/0.33 का वसीयत के आधार पर नामान्तकरण के आदेश नहीं देकर कानूनी भूल की है।

स्व0 हरिराम की मृत्यु के समय उनका कोई भी प्रथम श्रेणी का वारिस नहीं था। उनकी पूर्ण रूपेण सेवा सुश्रुषा अपीलान्ट ने ही की थी। इस कारण उन्होंने अपनी सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 20.10.2015 को अपीलान्ट के हक में कर दी। उक्त वसीयत को तहत न्यायालय ने पूर्णतः सही माना है परन्तु उक्त खसरा नम्बरों को स्वअर्जित होने का कोई सबूत नहीं होने के कारण अपीलान्ट के नाम दर्ज नहीं किया परन्तु जब वसीयतकर्ता का कोई प्रथम श्रेणी का वारिस मौजूद नहीं हो तो ऐसी स्थिति में वसीयतकर्ता के पास सम्पत्ति स्वअर्जित हो या पैतृक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ।

इस प्रकार अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश को वाके ग्राम जघीना चक नं0 3 तहसील भरतपुर स्थित खसरा नम्बर 5971/0.30, 6685/0.33 की हद तक निरस्त कर उक्त खसरा नम्बरों पर भी राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के नाम इन्द्राज करने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना करते हुए अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी की गई। तहत पत्रावली तलव की गई। रेस्पो0 संख्या 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए और अपना जबाव प्रस्तुत किया, जो संलग्न पत्रावली है । योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

अपीलाण्ट के योग्य अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 5971/0.30, 6685/0.33, 6783/0.22, 6784/0.14 वाके ग्राम जघीना चक नं0 3 तहसील भरतपुर स्थित है, जिसके 1/2 हिस्सा के खातेदार हरीराम पुत्र दौलीराम जाति जाट निवासी जघीना थे । उन्होंने उक्त खसरा नम्बरान की वसीयत दिनांक 20.10.2015 को अपीलान्ट के हक में कर दी थी। हरीराम की दिनांक 27.10.2015 को मृत्यु हो चुकी है । इसलिए अपीलान्ट ने उक्त आराजी का नामान्तकरण खोलने

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0.

हेतु तहसीलदार भरतपुर के सम्मुख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । तहसीलदार भरतपुर ने गवाहान के बयान आदि लेकर वसीयत को सही होना स्वीकारते हुए खसरा नम्बर 6783, 6784 को स्वअर्जित मानते हुए नामान्तकरण के आदेश कर दिए तथा खसरा नम्बर 5971 व 6685 की बावत अपने आदेश में यह अंकन कर दिया कि इन नम्बरों के स्वअर्जित होने का कोई भी सबूत नहीं है। अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी जाहिर किया है कि स्व0 हरीराम अपनी खातेदारी की भूमि की वसीयत अपीलान्ट के लिए की थी । उक्त वसीयत को तहत अदालत ने सही होना माना गया है । चूंकि वसीयतकर्ता हरीराम के प्रथम श्रेणी का कोई भी वारिस मौजूद नहीं है। इसलिए भूमि स्वअर्जित हो या पैतृक, इससे कोई भी फर्क नहीं पडता । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के मुताबिक खातेदारी अधिकारों को वसीयत के द्वारा किसी को भी दे सकता है। तथा पैतृक आराजी की भी वसीयत हो सकती है । जब तक पैतृक आराजी की बावत कोई साक्ष्य मौजूद नहीं हो तो भूमि की वसीयत को सही मानते हुए निर्णय किया जाना चाहिए । अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए तहसीलदार भरतपुर के आदेश 13.02.2020 को निरस्त कर वाके ग्राम जघीना चक नं0 3 स्थित खसरा नम्बर 5971 व 6685 पर भी राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के नाम इन्द्राज करने के आदेश दिए जाने की प्रार्थना की है। अपील देरी के सम्बन्ध में उनका कहना है कि तहसीलदार भरतपुर द्वारा यह आदेश दिनांक 13.02.2020 को सुनाया गया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को 12.03.2020 को नामान्तकरण पूरी जमीन का नही होने पर हुई। इसकी जानकारी होने पर अपीलान्ट ने नकल आदि लेने की कोशिश की उसके बाद दिनांक 18.03.2020 से वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से पूर्ण लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के खुलते ही अपीलान्ट द्वारा दिनांक 07.01.2021 को नकल का आवेदन पेश कर दिया जिसकी नकल दिनांक 13.01.2021 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होते ही अपील बिना किसी देरी से पेश की गई है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने देरी को माफ करते हुये अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस मे कथन किया है कि विवादित आराजी स्व0 हरीराम की स्वअर्जित आराजी नहीं है । इस कारण उक्त आराजी का नामान्तरकण नहीं खोला जा सकता । तहसीलदार भरतपुर द्वारा पारित आदेश 13.02.2020 सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

हमने योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। प्रथमतः अपील के म्याद बिन्दू पर विचार किया गया । अपीलान्ट ने देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा–5

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

म्याद अधिनियम पेश किया गया है, जिसकी ताईद में शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर, अपील की मैरिट पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा तहत पत्रावली में संलग्न कथित वसीयत दिनांक 20.10.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वसीयत को साक्षियों द्वारा पूर्ण रूप से प्रमाणित किया गया है तथा वसीयत को तहसीलदार भरतपुर द्वारा भी सही होना मानते हुऐ दो खसरा नम्बर 6783 व 6784 को स्वअर्जित मानकर अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण खोले जाने का आदेश पारित किया गया है, किन्तु खसरा नम्बर 5971 व 6685 की बाबत् स्वअर्जित होने का कोई साक्ष्य नही होने के कारण इन नम्बरों पर अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण खोलने का आदेश नही दिया गया है। मृतक हरीराम लावल्द बिला संतान फौत हुये हैं और इनका कोई भी प्रथम श्रेणी का वारिस भी नहीं है, ऐसी स्थिति में वह किसी भी व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति देने हेतु स्वतन्त्र है। द्वितीय श्रेणी का एक वारिस कुलदीप मौजूद है, उसने भी वसीयत की बाबत् अपीलान्ट के पक्ष में अपनी सहमति दी है। इस वसीयत से उसे भी कोई एतराज नहीं है। अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा अपनी अपील के समर्थन में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39, CCC 2020 (i) पेज 315, RRT 2004 (i) पेज 561, RRT 2002 (ii) पेज 786 की नजीरें प्रस्तुत की है, जो प्रकरण पर पूर्ण रूपेण चस्पा होती हैं। अतः हमारे न्यायिक मत में अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाते है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार भरतपुर का आदेश दिनांक 13.02.2020 वाके ग्राम जघीना चक नं0 3 स्थित खसरा नम्बर 5971 व 6685 की हद तक निरस्त किया जाता है। वसीयत दिनांक 27.10.2015 के आधार पर वाके ग्राम जघीना चक न0 3 स्थित खसरा नम्बर 5971 व 6685 पर अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण खोला जाने के आदेश दिये जाते है। अन्य आदेश यथावत् रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर